मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// **आदेश** //

भोपाल, दिनांक 02/01/2021

क्रमांक/ 05 /3038/2020/ई/चार, राज्य शासन एतद् व्दारा मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा नीति,2018 में जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कंडिका-14 अंतर्गत विभागीय प्रकरणों की समीक्षा हेतु निम्नानुसार **विभाग स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया जाता है :-**

1.	सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग	**अध्यक्ष**
2.	उप सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग	सदस्य
3.	उप सचिव (नियम) मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग	सदस्य
4.	परामर्शी (यदि कोई हो) मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग	सदस्य

समिति विभाग से संबंधित सभी मुकदमों का पर्यवेक्षण तथा पुनर्विलोकन करेंगी। समिति को किसी प्रकरण/प्रकरणों के वर्ग जो कि प्रशासनिक एवं वित्तीय निहितार्थ न रखते हो की वापसी के लिए अनुशंसा करने की शक्ति होगी। यह किसी नीतिगत मामले को विनिश्चय के लिए राज्य स्तरीय सशक्त समिति/सक्षम प्राधिकारी को भी निर्दिष्ट कर सकेगी।

02.01.2021
(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 06 /3038/2020/ई/चार,
भोपाल, दिनांक 02 /01/2021

प्रतिलिपिः-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय/खण्डपीठ,मध्यप्रदेश,
3. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,माननीय उच्च न्यायालय/खण्डपीठ,मध्यप्रदेश,
4. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,विधि विधायी कार्य विभाग भोपाल,
5. उप सचिव,मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय,
6. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,
7. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग,मंत्रालय,
8. प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय,
9. प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश वित्त निगम,ए.बी.रोड,इंदौर

upload हेतु

-2-

10. संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर,
11. आयुक्त,कोष एंव लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल,
12. आयुक्त,संस्थागत वित्त,मध्यप्रदेश,भोपाल,
13. संचालक,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली,भोपाल,
14. संचालक,स्थानीय निधि संपरीक्षा (प्रकोष्ठ) भोपाल,
15. संचालक,पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय,भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

order

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 02 /01/2021

क्रमांक/ 07 /3038/2020/ई/चार, सेवा मामलों में यथा प्रवृत्त नियमों, निर्देशों या नीतिगत विनिश्चयों के अनुसार प्रदान नहीं किये जाने के कारण वाद हेतुक उद्‌भूत होता है। यह भी देखा गया है कि अधिकांश मामलों में न्यायालय में मामला पहुंचने से पूर्व प्रभावित पक्षकार अनावश्यक रूप से बहुत सा समय और श्रम सामान्य प्रशासनिक प्रणालियों के माध्यम से अपनी शिकायत के निवारण पर व्यय करता है। अतः ऐसे प्रकरणों का विभाग स्तर पर निराकरण करने हेतु राज्य शासन एतद् व्दारा मध्यप्रदेश राज्य मुकदमा नीति,2018 की कंडिका-20 में **उल्लेखित निर्देशों के अनुक्रम में विभाग स्तरीय शिकायत निवारण/नियंत्रण समिति का** निम्नानुसार गठन करता है :-

1.	सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग	**अध्यक्ष**
2.	उप सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग	सदस्य
3.	उप सचिव (नियम) मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग	सदस्य
4.	संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य

उक्त समिति व्यथित पक्षकार के निवेदन पर समस्त मामले तथा मुद्दे उचित शिकायतों के निवारण के लिए पुनर्विलोकित करेगी।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए सभी कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अनुतोष पाने के लिए न्यायालयों में जाने से पूर्व सर्वप्रथम इस प्रणाली के माध्यम से प्रयास करें।

02.01.2021
(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 08 /3038/2020/ई/चार,
भोपाल, दिनांक 02 /01/2021

प्रतिलिपिः-

upload हेतु

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय/खण्डपीठ,मध्यप्रदेश,
3. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,माननीय उच्च न्यायालय/खण्डपीठ,मध्यप्रदेश,
4. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,विधि विधायी कार्य विभाग भोपाल,
5. उप सचिव,मुख्य सचिव कार्यालय,मंत्रालय,
6. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,

-2-

7. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग,मंत्रालय,
8. प्रमुख सचिव/सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय,
9. प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश वित्त निगम,ए.बी.रोड,इंदौर
10. संयुक्त आयुक्त (लिटिगेशन एवं समन्वय) जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर,
11. आयुक्त,कोष एंव लेखा,मध्यप्रदेश,भोपाल,
12. आयुक्त,संस्थागत वित्त,मध्यप्रदेश,भोपाल,
13. संचालक,वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली,भोपाल,
14. संचालक,स्थानीय निधि संपरीक्षा (प्रकोष्ठ) भोपाल,
15. संचालक,पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा संचालनालय,भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

order